उत्तर प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

::पंजीकृत निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना::

बोर्ड अधिसूचना संख्या- 4200-4331/भ0नि0(90)-2011, दिनांक 15.07.2011 द्वारा अधिसूचित।

1. योजना का नाम :- निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना

2. योजना का उद्देश्य :-

इस योजना का उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वंय अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्री एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को गम्भीर बीमारी की स्थिति में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का स्वायत्तशाषी चिकित्सालय में कराए गये इलाज के उपरान्त किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है।

गम्भीर बीमारी की परिभाषा में निम्नलिखित बीमारियॉ सम्मिलित होंगी :-

- हृदय की शल्य क्रिया,
- गुर्दा का प्रत्यारोपण,
- लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण,
- मस्तिष्क की शल्य क्रिया,
- रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया,
- पैर के घुटने बदलना,
- कैंसर का इलाज तथा
- एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी।

शेष अन्य बीमारियों के लिये इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।

3. पात्रता :-

इस योजना के लिये वे सभी कर्मकार पात्र होंगे जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।

4. हितलाभ :-

(1) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार या उ0प्र0 सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त अग्रलिखित प्रक्रिया एवं शर्तो के अधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी। ★

(2) योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी श्रमिक गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत सरकार की सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुबंधित अस्पतालों में भर्ती होने या इलाज कराते हैं, तो उनसे प्राप्त सूचना/अभिलेख के आधार पर गम्भीर बीमारी की इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को की जायेगी। ★

5. आवश्यक शर्तें :-

- ❖ श्रमिक बोर्ड का पंजीकृत लाभार्थी श्रमिक हो।
- ❖ किसी गम्भीर बीमारी के इलाज के फलस्वरूप उपचार करने वाले चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रारूप-2 पर दिया गया प्रमाण पत्र।
- ❖ दवाइयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल-बाउचर जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित किए गये हों, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।

6. सामान्य निर्देश : -

लाभार्थी श्रमिक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दो प्रतियों में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख भी संलग्न अनिवार्य रूप से किए जायेंगे :-

(1) निर्धारित प्रारूप-1 पर आवेदन-पत्र

(2) पहचान प्रमाण पत्र की फोटो प्रति

(3) निर्धारित प्रारूप-2 पर सक्षम मुख्य चिकित्साधीक्षक/चिकित्सा बोर्ड द्वारा अनुमन्य एवं प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र

(4) दवाईयों के क्रय पर हुए व्यय के मूल बिल-बाउचर, जो कि उस चिकित्सक/अस्पताल द्वारा प्रमाणित तथा भुगतान हेतु सत्यापित किए गये हों, जिनके द्वारा उपचार किया गया हो।

(5) यदि रोगी अविवाहित पुत्री अथवा 21 वर्ष से कम आयु का पुत्र है तो ऐसी स्थिति में उसका पंजीकृत निर्माण श्रमिक पर आश्रित होने का प्रमाण-पत्र (प्रारूप-3)

(6) इस समग्र कार्यवाही में जिला श्रम कार्यालय द्वारा नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य किया जाएगा। योजनावार तथा लाभार्थीवार विवरण निर्धारित पंजिका में जिला श्रम कार्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय में संरक्षित रखे जायेंगे, जिसके लिए पंजिका प्रपत्र संख्या-3 संलग्न किया जा रहा है। क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा योजनावार, लाभार्थीवार तथा जिलेवार पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपत्रों पर मासिक आधार पर संकलित करते हुए, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के कार्यालय में मास की समाप्ति के उपरान्त अगले 04 दिन के अन्दर उपलब्ध करवायें जायेंगे।

7. कठिनाईयों का निवारण :-

योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों के निवारण हेतु उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के सचिव सक्षम होंगे और इस सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश, आदेश, इत्यादि निर्गत कर सकेगें।

नोट :- ☆ ' उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या : 411-17/श्र0नि0बो0(90)-2013, दिनांक 27.06.2013 द्वारा संशोधित।

(2)

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना** की स्वीकृति तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उनके आदेश संख्या– 663/36–2–2011, दिनांक 14.07.2011 के क्रम में एतदद्वारा निर्माण कर्मकारों के हितार्थ **कामगार गंभीर बीमारी सहायता योजना** अधिसूचित की जाती है।

अतएव उक्त योजना तत्काल प्रभाव से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रवर्तित व लागू की जाती है।

15/07/11

(सीताराम मीना)
सचिव।

कार्यालय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पत्रांकः 4300-4331/भवन निर्माण–(90)/2011, दिनांक– 15-07- ,2011

प्रतिलिपि– *निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–*

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
5. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 663/36–2–2011, दिनांक 14.07.2011 के क्रम में सूचनार्थ।

संलग्नकः यथोक्त।

15/7/11

(पंकज कुमार)
अपर सचिव।

:: अधिसूचना ::

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा अधिसूचना संख्या 4200–4331/भवन निर्माण(90)/2011, दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से गम्भीर बीमारी सहायता योजना अधिसूचित की गयी थी।

तत्क्रम में शासन द्वारा प्रस्तावित संशोधनों पर अनापत्ति संख्या– 1471/छत्तीस–2–12–93(1)/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में पंजीकृत श्रमिकों के हितार्थ चलायी जाने वाली गम्भीर बीमारी सहायता योजना के अन्तर्गत निम्न संशोधन किये गये है :–

1. इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री की गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार या उ0प्र0 सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में करायें गये इलाज के उपरान्त प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।
2. योजना के अन्तर्गत यदि लाभार्थी श्रमिक गम्भीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भारत सरकार की सी0जी0एच0एस0 व ई0एस0आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुबंधित अस्पतालों में भर्ती होने या इलाज कराते हैं, तो उनसे प्राप्त सूचना/अभिलेख के आधार पर गम्भीर बीमारी की इलाज की प्रतिपूर्ति सीधे अस्पताल को की जायेगी।
3. योजना के अन्तर्गत उक्त संशोधित लाभ संशोधन की अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होगें। पूर्व में प्राप्त आवेदनों पत्रों पर उपरोक्त संशोधन कदापि लागू नहीं होगे।

तदनुसार संशोधित योजना के अनुसार भविष्य में कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 गुरदीप सिंह)
सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उ0प्र0 भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, कानपुर।

पंत्राक – 611-12 /भ0नि0बो0( )–2013, दिनांक– 29.6. ,2013

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन)उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक् प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त, उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि कृपया सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुये बेवसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, लखनऊ।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 को उनकी अनापत्ति संख्या– 1471/छत्तीस–2–12–93(1)/2011, दिनांक 11.06.2013 के क्रम में सूचनार्थ।

(माला श्रीवास्तव)
अपर सचिव, बोर्ड।

–: अधिसूचना :–

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या 4200–4331/भ0नि0बो0(90)/2011, दिनांक 15.07.2011 द्वारा अधिसूचित निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना में उल्लिखित गम्भीर बीमारियों हृदय की शल्य क्रिया, गुर्दा का प्रत्यारोपण, लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण, मष्तिष्क की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, पैर के घुटने बदलना, कैंसर का इलाज, एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी के संबंध में उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग–2 के पत्र संख्या : 13/2015/319/36–2–2015–93 (1)/11 दिनांक 02.11.2015 एवं तत्क्रम में जारी उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 980/36–2–2017 दिनांक 27.09.2017 द्वारा प्राप्त अनापत्ति के क्रम में पूर्व की उपरोक्त 08 गम्भीर बीमारियों के अतिरिक्त निम्न अन्य बीमारियों को गम्भीर बीमारी सहायता योजना में सम्मिलित किया जाता है :–

1. आँख की शल्य क्रिया
2. पथरी की शल्य क्रिया
3. एपेन्डिक्स की शल्य क्रिया
4. हाइड्रोसिल की शल्य क्रिया
5. महिलाओं में होने वाले स्तर कैंसर की शल्य क्रिया
6. सर्विकल (बच्चेदानी/योनि) कैंसर की शल्य क्रिया

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(बी0जे0 सिंह)
o/c सचिव, बोर्ड।

कार्यालय उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक : 3190-96 **/भ0नि0बो0–(90)–17** **दिनांक :** 03/10/17

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
4. अपर श्रमायुक्त उ0प्र0 (कम्प्यूटर प्रकोष्ठ) को इस अनुरोध के साथ कि सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों को ई–मेल से प्रेषित करते हुए वेबसाइट पर भी अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
6. गार्ड फाइल हेतु।
7. श्रम अनुभाग–2 द्वारा जारी अनापत्ति संख्या 980/36–2–2017 दिनांक 27.09.2017 के क्रम में सूचनार्थ।

(बी0जे0 सिंह)
o/c सचिव, बोर्ड।

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड,

द्वितीय तल, A&D ब्लाक, किसान मण्डी भवन, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ–226010 (उ0प्र0),
टेलीफोनः 91–522–2723921, टोल फ्री नं0–18001805412,
ई–मेलः **upbocboardlko@gmail.com**

–: अधिसूचना :–

उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिसूचना संख्या–4200–4331/भ0नि0बो0 (90)–2011 दिनांक 15.07.2011 के माध्यम से निर्माण श्रमिकों हेतु " **निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना**" अधिसूचित की गयी थी। तत्क्रम में बोर्ड की 43वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार उ0प्र0 शासन द्वारा अपने पत्र संख्या–7/2020/564/36–2–2020–93(1)/2011 दिनांक 29.5.2020 के माध्यम से '**निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना**' के अंतर्गत निम्न संशोधन किए जाने पर अनापत्ति प्रदान की गयी है–

वर्तमान व्यवस्था	पारित संशोधन के उपरान्त व्यवस्था
प्रस्तर–1 योजना का नाम– निर्माण कामगार **गम्भीर बीमारी** सहायता योजना **प्रस्तर–2 योजना का उद्देश्य–** इस योजना का उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्री एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र को **गम्भीर** बीमारी की स्थिति में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार का स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कराया जाना है। गम्भीर बीमारी की परिभाषा में निम्नलिखित बीमारियाँ सम्मिलित होंगी– 1. हृदय की शल्यक्रिया 2. गुर्दा का प्रत्यारोपण 3. लीवर (यकृत) का प्रत्यारोपण 4. मस्तिष्क की शल्यक्रिया 5. पैर के घुटने बदलना	**प्रस्तर–1 योजना का नाम–** निर्माण कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना (यथावत)। **प्रस्तर–2 योजना का उद्देश्य–** इस योजना का उद्देश्य उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में ऐसे अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक जो "आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन–आरोग्य योजना" तथा "मुख्यमन्त्री जन–आरोग्य योजना" में आच्छादित नहीं हो सकते हैं, की स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति (जैसी भी स्थिति हो) अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्रियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्रों एवं पंजीकृत कर्मकार की आय पर आश्रित उसके माता/पिता को बीमारी की स्थिति में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्तशासी चिकित्सालय अथवा ऐसे चिकित्सालयों जिन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन–आरोग्य योजना की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अथवा राज्य स्तर पर कार्यदायी संस्था SACHIS (State Agency For Comprehensive Health Insurance and Integrated Services) द्वारा अपने पैनल पर रखा गया है, में इलाज कराये

6. कैंसर का इलाज 7. एच0आई0वी0 एड्स की बीमारी 8. आँख की शल्य क्रिया 9. पथरी की शल्यक्रिया 10. एपेन्डिक्स की शल्यक्रिया 11. हाइड्रोसील की शल्यक्रिया 12. महिलाओं में होने वाले स्तन कैन्सर की शल्यक्रिया 13. सर्विकल (बच्चेदानी/योनि) कैन्सर की शल्यक्रिया शेष अन्य बीमारियों के लिये इस योजना के अन्तर्गत लाभ देय नहीं होगा।	जाने की दशा में ऐसी बीमारी पर आयुष्मान भारत योजना में चिकित्सा पर आने वाले व्ययभार के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किया जाना तथा/अथवा चिकित्सा/शल्यक्रिया आदि के सन्दर्भ में दिये गये चिकित्सालय द्वारा दिये गये इस्टीमेट के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सालय को अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जाना है। बीमारी की परिभाषा में वह समस्त बीमारियाँ सम्मिलित होंगीं जिन्हें ''आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन–आरोग्य योजना'' तथा ''मुख्यमंत्री जन–आरोग्य योजना'' में आच्छादित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त, यदि किसी अन्य बीमारी को इस योजना के अन्तर्गत आवर्त किया जाना है तो सचिव, बोर्ड के युक्तिसंगत प्रस्ताव पर अध्यक्ष, बोर्ड शासन की अनापत्ति प्राप्त करते हुये इस योजना के अन्तर्गत ऐसी बीमारियों को जोड़ सकेगा एवं ऐसी जोड़ी गयी बीमारियों के सन्दर्भ में बोर्ड के समक्ष कार्योत्तर अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा।
प्रस्तर–3 पात्रता इस योजना के लिये वे सभी कर्मकार पात्र होंगें जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–12 के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं।	**प्रस्तर–3 पात्रता** इस योजना के लिये वे सभी कर्मकार पात्र होंगें जो भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवाशर्तें विनियमनं) अधिनियम, 1996 की धारा–12 के अन्तर्गत अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक हैं तथा जो ''आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन–आरोग्य योजना'' तथा ''मुख्यमन्त्री जन–आरोग्य योजना'' में आच्छादित नहीं हो सकते हैं। साथ ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पंजीकृत कर्मकार तथा उसकी पत्नी/पति (जैसी भी स्थिति हो) तथा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्रियाँ एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र एवं पंजीकृत कर्मकार की आय पर आश्रित उसके माता/पिता भी पात्रता की श्रेणी में आवर्त होंगें।

प्रस्तर–4 हितलाभ (1) इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा ऊपर बताई गयी स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री को गम्भीर बीमारी में प्रदेश के किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये इलाज के उपरान्त अग्रलिखित प्रक्रिया एवं नियमों के शर्तों के आधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये इलाज की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी।	**प्रस्तर–4 हितलाभ** इस योजना में बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिक की स्वयं अथवा उसकी पत्नी/पति (जैसी भी स्थिति हो) अथवा उस पर आश्रित अविवाहित पुत्रियों एवं 21 वर्ष से कम आयु के पुत्रों एवं पंजीकृत कर्मकार की आय पर आश्रित उसके माता/पिता को बीमारी की दशा में उनके द्वारा किसी शासकीय चिकित्सालय में या भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के स्वायत्तशासी चिकित्सालय अथवा ऐसे चिकित्सालयों जिन्हें आयुष्मान भारत प्रधानमन्त्री जन–आरोग्य योजना की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी अथवा राज्य स्तर पर कार्यदायी संस्था **SACHIS** (State Agency For Comprehensive Health Insurance and Integrated Services) द्वारा अपने पैनल पर रखा गया है, में इलाज कराये जाने की दशा में ऐसी बीमारी पर आयुष्मान भारत योजना में चिकित्सा पर आने वाले व्ययभार के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। यदि ऐसी चिकित्सा/शल्यक्रिया आदि के सन्दर्भ में सम्बन्धित चिकित्सालय के सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा बीमारी के इलाज के लिये कोई आगणन दिया जाता है, तो दिये गये आगणन के आधार पर सम्बन्धित चिकित्सालय को अग्रिम धनराशि का भुगतान किया जायेगा। अग्रिम धनराशि प्राप्त करने वाला चिकित्सालय इलाज के उपरान्त सम्बन्धित लाभार्थी की चिकित्सा पर आने वाले वास्तविक व्यय का विस्तृत विवरण 15 दिन के अन्दर क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त के कार्यालय में प्रेषित करेगा तथा ऐसे विवरण की प्राप्ति के उपरान्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त सम्बन्धित चिकित्सालय को अन्तरधन की राशि का भुगतान करेगा तथा यदि कोई धनराशि इलाज के उपरान्त चिकित्सालय के पास शेष बच रही है, तो ऐसी धनराशि उक्त विवरण के साथ ही चिकित्सालय द्वारा क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त कार्यालय में रेखाँकित चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम

	से वापस प्रेषित कर दी जायेगी। क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त ऐसी धनराशि को बोर्ड के योजना व्यय के खाते में जमा करायेंगें तथा ऐसी वापस प्राप्त धनराशि को अपने लेखा अभिलेखों में पुस्तकाँकित करते हुये इसकी सूचना बोर्ड कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करायेंगें।

योजना के अंतर्गत उक्त संशोधन अधिसूचना जारी किये जाने की तिथि से लागू होंगे।

(पी0पी0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।

पत्रांक : 545–53 /भ0नि0बो0–(90–B)/20, दिनांक : 25/06/2020

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
2. समस्त सदस्यगण, उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड।
3. श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. प्रमुख सचिव, श्रम उत्तर प्रदेश शासन को उनकी अनापत्ति संख्या संख्या–7/2020/564/36–2–2020–93(1)/2011 श्रम अनुभाग–2 दिनांक 29.0. 2020 के क्रम में सूचनार्थ।
7. समस्त अपर/उप/सहायक श्रमायुक्त व अपर/उप/सहायक कल्याण आयुक्त (पदेन) तथा जनपदीय प्रभारी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को उपर्युक्त के साथ–साथ सम्यक प्रचार एवं प्रसार हेतु।
8. श्री प्रभात कुमार निगम, कम्प्यूटर प्रोग्राम, बोर्ड कार्यालय लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड एवं संशोधन करने हेतु प्रेषित।
9. गार्ड फाईल हेतु।

(पी0पी0 सिंह)
सचिव, बोर्ड।